संख्या बी–3–1973/दस–2010–100(9)/88–भवन

प्रेषक,

डा0 बी0एम0 जोशी,
सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिला एवं सत्र न्यायाधीश
तथा जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–3 लखनऊः दिनॉकः 12 अक्टूबर, 2010

विषयः पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन के आधार पर राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या बी–3–1875/दस–2006–100(9)/88, दिनॉक 23 अगस्त, 2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनॉक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नलिखित पात्रता एवं अनुमन्यता निर्धारित की जाती है:–

(1) भवन निर्माण/क्रय अग्रिम की सीमा वेतन बैण्ड में 34 माह का वेतन या अधिकतम रूपये 7.50 लाख अथवा भवन की लागत, जो भी कम हो, होगी।

(2) भवन की लागत सीमा वेतन बैण्ड में वेतन का 134 गुना और अधिकतम रूपये 30.00 लाख एवं न्यूनतम रूपये 7.50 लाख होगी।

(3) भवन मरम्मत/विस्तार के लिए अगिम की सीमा वेतन बैण्ड में 34 माह का वेतन या अधिकतम रूपये 1.80 लाख, जो भी कम हो, होगी।

वेतन बैण्ड में वेतन का आशय मूल वेतन में ग्रेड वेतन को घटाकर है।

2– जिन मामलों में पूर्व में गृह निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जा चुका है और स्वीकृत अग्रिम की धनराशि आंशिक अथवा पूर्ण रूप से आहरित की जा चुकी है उन्हे इस शासनादेश के अन्तर्गत संशोधन/पुनरीक्षण हेतु री–ओपेन नहीं किया जायेगा।

3– यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

संख्या बी–3–1973/दस–2010–100(9)/88–भवन

प्रेषक,

डा0 बी0एम0 जोशी,
सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिला एवं सत्र न्यायाधीश
तथा जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–3 लखनऊः दिनॉकः 12 अक्टूबर, 2010

विषयः पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन के आधार पर राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या बी–3–1875/दस–2006–100(9)/88, दिनॉक 23 अगस्त, 2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनॉक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नलिखित पात्रता एवं अनुमन्यता निर्धारित की जाती हैः–

(1) भवन निर्माण/क्रय अग्रिम की सीमा वेतन बैण्ड में 34 माह का वेतन या अधिकतम रूपये 7.50 लाख अथवा भवन की लागत, जो भी कम हो, होगी।

(2) भवन की लागत सीमा वेतन बैण्ड में वेतन का 134 गुना और अधिकतम रूपये 30.00 लाख एवं न्यूनतम रूपये 7.50 लाख होगी।

(3) भवन मरम्मत/विस्तार के लिए अगिम की सीमा वेतन बैण्ड में 34 माह का वेतन या अधिकतम रूपये 1.80 लाख, जो भी कम हो, होगी।

वेतन बैण्ड में वेतन का आशय मूल वेतन में ग्रेड वेतन को घटाकर है।

2– जिन मामलों में पूर्व में गृह निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जा चुका है और स्वीकृत अग्रिम की धनराशि आंशिक अथवा पूर्ण रूप से आहरित की जा चुकी है उन्हे इस शासनादेश के अन्तर्गत संशोधन/पुनरीक्षण हेतु री–ओपेन नहीं किया जायेगा।

3– यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगें।

4– उक्त शासनादेश संख्या बी–3–1875/दस–2006–100(9)/88, दिनॉक 23 अगस्त, 2006 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

5– वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 में तदनुसार यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

भवदीय,

(बी.एम.जोशी)
सचिव।

संख्या बी–3–1973(1)/दस–2010 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
4– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6– विधान परिषद तथा विधान सभा सचिवालय।
7– राज्यपाल सचिवालय।
8– वित्त (लेखा) अनुभाग–1 को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 में आवश्यक संशोधन हेतु।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव।